उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या- 3/2021/ 20 /सत्रह-म-2021-5(1)/94 टी0सी0-।

लखनऊ दिनांक 08 जनवरी, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल महोदय, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह को लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-139(iv)/ 09 /एस-2/पी/2019-20,दिनांक 31 अक्टूबर,2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर सहायक निदेशक मत्स्य, वेतन वैण्ड-3 रू015600-39100,ग्रेडपे 5400 (पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें जनपद- चित्रकूट में एतदद्वारा तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नत अधिकारी को उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित)सेवानियमावली 1993 यथा संशोधित 2001 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 यथासंशोधित 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर,कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

(एस0एम0ए0 रिजवी)

विशेष सचिव।

<u>संख्या- 3/2021 / 20 (1)/सत्रह-म-2021 तददिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -</u>

(1) महालेखाकार,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) मण्डलायुक्त, अयोध्या /चित्रकूटधाम बांदा।
(3) जिलाधिकारी, अयोध्या /चित्रकूट।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या- 139(iv)/ 09 /एस-2/पी/2019-20, दिनांक 31 अक्टूबर,2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(5) निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को राजपत्रित गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
(7) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(8) सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
(9) मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, अयोध्या /चित्रकूट ।
(10) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(11) सम्बंधित अधिकारी ।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)

अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com